न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 6ए/16/2025

सरकार जरिये मनोज कुमार, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (प्रक्षि.) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) भरतपुर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1—मैसर्स बजरंग खाद बीज भण्डार ऊँचा नगला जिला भरतपुर जिसके फर्म प्रतिनिधि का नाम भगतसिंह पुत्र थानसिंह, जाति जाट निवासी ऊँचा नगला जिला भरतपुर

2—मैसर्स बजरंग खाद बीज भण्डार ऊँचा नगला जिला भरतपुर जिसके मालिक का नाम संजय पुत्र श्री चन्दभान जाति जाट निवासी निवासी बरताई, जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 8 (1)

आदेश **दिनांक 31.12.2025**

प्रार्थी यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 7, 8 (1) विरुद्व अप्रार्थी इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.9.2025 को मुखविर की सूचना पर जांच हेतु पुलिस चोकी ऊंचा नगला से जाप्ता लेकर ऊंचा नगला तिराहे के पास बनय सिंह पुत्र भगवान सिंह के मकान पर पहुंचे, पूछताछ पर बनय सिंह ने बताया कि मकान के एक हिस्सा किराये पर भगत सिह पुत्र थानसिंह निवासी ऊँचा नगला को दिया हुआ है, बनय सिंह ने फोन कर भगतसिंह कों बुलाया गया। भगतसिंह के आने पर गोदाम को खुलवाकर देखा गया। गोदाम में यूरिया HURL के 70 बैग, एन.पी.के. आईपीएल 67 बैग, सुपर आईपीएल के 452 बैग, एम.ओ.पी. आई. पी.एल. के 8 बैग, पी.डी.एम.पोटास के 1320 बैग, सिटी कम्पोस्ट के 190 बैग, सुपर अंकुर के 400 बैग, सुपर रामवाण के 8 बैग, कैल्सियम नाइट्रेट एम.आई.पी.एल. के 40 बैग मौके पर गोदाम में मिले। उर्वरके के कागजात मांगे जाने पर उनके द्वारा उक्त उर्वरकों के कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये। भगतसिंह द्वारा मै. बजरंग खाद बीज भंडार ऊंचा नगला का उर्वरक अनुज्ञापत्र संख्या एफआर/2023—24/26995 दिनांक 1.11.23 प्रस्तुत किया गया। यह गोदाम अनुज्ञापत्र में दर्ज नहीं है इस बारे में भगतसिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई सन्तोषप्रद जबाब नहीं दिया । यह अनुज्ञापत्र संजय पुत्र चन्द्रभान जाति जाट निवासी बरताई के नाम से है जबकि मौके

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पर दुकान भगतसिंह द्वारा सचांलित की जा रही है, भगतसिंह के पास इसकी कोई आथोरिटी नहीं मिली। भगतसिंह द्वारा अधिक रेट पर बिक्री करने व कालाबाजारी करने की नियत से उक्त खाद अवैध गोदाम में रखा हुआ था, मौके पर उक्त खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहपठित उपर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 8 (1) के अन्तर्गत जप्त किया गया । जप्त उक्त उर्वरक को सुरक्षित भंडारण हेतु किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 भरतपुर की सुपुर्दगी में दिया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,8 (1) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उलंघन है। अन्त में जप्त शुदा 2555 बैग उर्वरक को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ई.सी.एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामस्वरुप गुप्ता वगे. का वकालतनामा पेश हुआ । अप्रार्थी0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत जप्त उर्वरक को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। पैरोकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी0 के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

पैरोकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि दिनांक 21.9.2025 को मुखविर की सूचना पर जांच हेतु पुलिस चोकी ऊंचा नगला से जाप्ता लेकर ऊंचा नगला तिराइे के पास बनय सिंह पुत्र भगवान सिंह के मकान पर पहुंचे, पूछताछ पर बनय सिंह ने बताया कि मकान के एक हिस्सा किराये पर भगत सिह पुत्र थानसिंह निवासी ऊॅचा नगला दिया हुआ है, बनैय सिंह ने फोन कर भगतसिंह कों बुलाया गया। भगतसिंह के आने पर गोदाम को खुलवाकर देखा गया। गोदाम में यूरिया HURL के 70 बैग, एन.पी.के. आईपीएल 67 बैग, सुपर आईपीएल के 452 बैग, एम.ओ.पी. आई.पी.एल. के 8 बैग, पी.डी.एम.पोटास के 1320 बैग, सिटी कम्पोस्ट के 190 बैग, सुपर अंकुर के 400 बैग, सुपर रामवाण के 8 बैग, कैल्सियम नाइट्रेट एम.आई.पी.एल. के 40 बैग मौके पर गोदाम में मिले। उर्वरके के कागजात मांगे जाने पर उनके द्वारा उक्त उर्वरकों के कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये। भगतसिंह द्वारा मै. बजरंग खाद बीज भंडार ऊंचा नगला का उर्वरक अनुज्ञापत्र संख्या एफआर/2023–24/26995 दिनांक 1.11.23 प्रस्तुत किया गया। उक्त अनुज्ञापत्र संख्या एफआर/2023–24/26995 यह गोदाम में दर्ज नहीं था। अप्रार्थी0 ने उक्त गोदाम में बिना किसी सक्षम आज्ञा के उर्वरक का अवैध रुप से कालाबजारी के लिये भण्डार किया हुआ था। अप्रार्थी. द्वारा सक्षम प्राधिकारी से इस गोदाम के लिये कोई स्वीकृत नहीं ली गई थी और नाहीं कोई सन्तोषप्रद जबाब दिया गया। अप्रार्थी का अनुज्ञापत्र में दर्ज गोदाम से अलग दूर अवैध गोदाम में उर्वरक का

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

भण्डारण करने का मकसद उर्वरक की कालाबाजारी करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अप्रार्थी ने 2555 उर्वरक के कट्टो का एक दिन में एक गोदाम से अवैध गोदाम में स्थानान्तरण करना स्वीकार योग्य नही है क्योंकि एक दिन में इतने उर्वरक कट्टो का स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं है। जप्त उक्त उर्वरक को सुरक्षित भंडारण हेतु किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 भरतपुर की सुपुर्दगी में दिया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,8 (1) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उलंघन है। अन्त में जप्त शुदा 2555 बैग उर्वरक को राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. ने अपने कथनों में जाहिर किया कि जप्त उर्वरक अप्रार्थी मालिक है। उर्वरक को प्रार्थी सुपुर्दगार ने बिल वाउचर से अधिकृत थोक विक्रेता एवं कम्पनीयों से खरीद किया गया है। उक्त उर्वरक को अपनी सुपुर्दगी में लेने का पूर्ण अधिकारी है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि उक्त उर्वरक को अनुज्ञापत्र में दर्ज गोदाम में ही भण्डारित किया हुआ था, परन्तु अनुज्ञापत्र में दर्ज उर्वरक भण्डारित गोदाम की छत की पट्टीयॉ अधिक वर्ष होने के कारण टूट गई थीं और उर्वरकों की वर्षा, धूप व सीलन से गुणवत्ता खराब नहीं हो इसलिए आपात स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से वैकल्पिक गोदाम में दिनांक 20.9.25 को कार्यवाही से एक दिन पूर्व रखवाया गया था, दिनांक 20, 21 व 22.9.25 का अवकाश होने से एवं कार्यालय बन्द होने के कारण वैकल्पिक गोदाम का नक्शा उर्वरक अनुज्ञापत्र में दर्ज नहीं करा सका था, और वैकल्पिक गोदाम में उर्वरक भण्डारण की सूचना भी कृषि विभाग को नहीं दे सका था। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि अप्रार्थी ने उर्वरक की कोई कालाबाजारी नहीं की है। एक गोदाम से दूसरे गोदाम की दूरी 100 मीटर मात्र है। उक्त उर्वरकों की वितरण हेतु सख्त आवश्यकता है किसानों का फसल का समय चल रहा है उर्वरकों के जप्त रहने से प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी की पूर्व में भी कोई शिकायत नहीं है। जप्त उर्वरक को अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे न्यायालय श्रीमान जो भी शर्त करेगा प्रार्थी पालना करेगा।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार के कथनों पर गौर किया। प्रार्थी द्वारा वक्त निरीक्षण जांच अवैध गोदाम से उर्वरक जप्त किया गया है। यह गोदाम अनुज्ञापत्र में दर्ज नहीं था। प्रार्थी का यह कहना कि गोदाम की वर्षात से पट्टी टूटने के कारण उर्वरक को दूसरे गोदाम में दिनांक 20.9.25 को सिफ्ट किया गया था यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है, अप्रार्थी ने अतिवर्षा होने से सम्बन्धित कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है, और ना हीं 2555 कट्टो को एक दिन में सिफ्ट किया जाना सम्भव है। उर्वरक को एक गोदाम से दूसरे अवैध गोदाम में सिफ्ट करने

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

की कोई सूचना सक्षम अधिकारी को नहीं दी, जबकि नियमों के तहत अप्रार्थी को सिफ्ट करने से पूर्व दूसरे गोदाम का नक्शा वगै. के साथ सक्षम अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी का उर्वरक का वैध गोदाम से अन्यत्र अनाधिकृत गोदाम में भण्डारण करना उसकी बदनियत को स्पष्ट करता है। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी करने की नियत से अवैध गोदाम में उर्वरक का भण्डारण किया गया था। अप्रार्थी का यह कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,8 (1) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट उलंघन है। अस्तु जप्त उर्वरक का राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौके पर जप्त यूरिया HURL के 70 बैग, एन.पी.के. आईपीएल 67 बैग, सुपर आईपीएल के 452 बैग, एम.ओ.पी. आई.पी.एल. के 8 बैग, पी.डी.एम.पोटास के 1320 बैग, सिटी कम्पोस्ट के 190 बैग, सुपर अंकुर के 400 बैग, सुपर रामवाण के 8 बैग, कैल्सियम नाइट्रेट एम.आई.पी.एल. के 40 बैग (कुल 2555 उर्वरक कट्टों) को राजसात (Confiscate) किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता कि वे उक्त जप्त उर्वरक को क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमि. भरतपुर के माध्यम से किसानों को कीमतन विक्रय कराया जाकर विक्रय से प्राप्त राशि जमा राजकोष की जावे। निर्णय की प्रति प्रार्थी को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31–12–2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर